भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4015
12 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

शहरी योजना के केन्द्र में महिलाएं

4015. श्रीमती सुमलता अम्बरीश :

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में शहरी योजना के केन्द्र में महिलाओं की भूमिका किस सीमा तक है;

(ख) क्या सरकार ने जापान में तोशिमा के अनुभव को नोट किया है जहां यदि महिलाओं की उपेक्षा की जाती है तो कर्नाटक सहित देश में ऊपरी तौर पर उन्नत जिलों में भी जनसांख्यिकीय चुनौतियां उभर सकती हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कर्नाटक सहित देश में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए, सार्वजनिक स्थानों के पुनरुद्धार तथा सार्वजनिक शौचालयों को फिर से बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा गत पांच वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान कितनी निधि स्वीकृत/खर्च की गई है; और

(घ) कर्नाटक में मांड्या जैसे नगरों एवं शहरों की भविष्य में जरूरतों को पूरा करने हेतु इन महिला केन्द्रित शहरी योजना एवं शहरों के विकास में उनकी भूमिका के संचयी प्रभाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) : शहरी योजना राज्य का विषय है। भारत सरकार राज्यों को योजना और विकास संबंधी उनके प्रयासों के लिए सहायता प्रदान करती है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्धारण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश 2014 जारी किए हैं जिसमें जेंडर सेंसीटिव योजना हेतु विशेष अपेक्षाओं पर एक अध्याय है। इसमें महिलाओं की यात्रा, घर के समीप रोजगार अवसर आदि शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों में यह भी सुझाव दिया गया है कि विकास योजना को बनाते समय सुरक्षा, हिफाजत और महिला भागीदारी, बुजुर्गों और विशेष आवश्यकता वाले समाज के अन्य वर्गों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ग) और (घ): स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत, महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट सुविधाओं सहित देश के शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों (सीटी/पीटी) का निर्माण किया जा रहा है। इसमें सीटी/पीटी परिसर में अलग ब्लॉक जिनमें अलग प्रवेश-द्वार और सेनिटरी पैड विक्रय मशीन और प्रयोग किए गए सेनिटरी पैड के स्वच्छ तथा स्वास्थ्यकारी निपटान हेतु इन्सीनरेटरों को लगाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, अन्य सुविधाओं में सीटी/पीटी में दर्पण और तौलियों आदि की सुविधा उपलब्ध कराना भी शामिल है। मंत्रालय मॉडल बिल्डिंग उपनियम (एचबीबीएल), 2016 भी जारी किए हैं जिसमें दिन में देखभाल केंद्रों की सुविधा और महिलाओं के लिए अलग सार्वजनिक शौचालयों का भी प्रावधान है।

*****